

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार का पत्र क्रमांक : प.19(11)शिक्षा-2/2019 पार्ट-3 जयपुर, दिनांक 18.10.2021 के अनुसरण में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में कार्यरत निम्न अधिकारी/कार्मिक की "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 के अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि किये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	अधिकारी/कार्मिक का नाम मय मूल पद	प्रतिनियुक्ति पर पदनाम	प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि की दिनांक	प्रतिनियुक्ति अवधि
1	2	3	4	5
1	श्रीमती स्नेहलता यादव, प्राध्यापक-हिन्दी	शैक्षिक अधिकारी	12.10.2021 से 11.10.2022	पाँचवें वर्ष के लिए

नोट:- उक्त प्रतिनियुक्ति अवधि में श्रीमती यादव को किसी प्रकार का प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन का लाभ देय नहीं होगा।

Rajasthan Education Department



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 08-11-2021

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अर्थ)/2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सहायक सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
3. दिशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
8. संबंधित अधिकारी।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर